

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 1276]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 26 मार्च. 2018

का.आ. 1412 (अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा न्यायविज्ञान निदेशालय, गांधी नगर (गुजरात), गुजरात राज्य को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

[सं. 1(13)/2015-सीएलएफ़ई]

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2018

S.O. 1412(E).— In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby notifies Directorate of Forensic Science, Gandhi Nagar (Gujarat), in the State of Gujarat as Examiner of Electronic Evidence within India with the following scope, namely:-

- (a) Computer (Media) Forensics;
- (b) Mobile Devices Forensics.

[No. 1(13)/2015-CLFE]

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Secy.

1891 GI/2018